2019 का विधेयक संख्यांक 123

[दि इंडियन पोस्ट आफिस (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी रूपांतर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2019

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का
और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नए अध्याय 2क का अंत:स्थापन।

2. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अध्याय 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय तथा उसके अंतर्गत धाराओं को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 2क

डाकघरों का व्यापक कवरेज

डाकघर व्यापक विकास प्राधिकरण का गठन।

6क. (*1*) इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसका नाम डाकघर व्यापक विकास प्राधिकरण होगा, जो देश में डाकघरों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करेगा।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) राज्य मंत्री, केन्द्रीय संचार मंत्रालय—पदेन सभापति;

(ख) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), केन्द्रीय संचार मंत्रालय —पदेन उपाध्यक्ष;

(ग) केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों के सचिव —पदेन सदस्य; और

(घ) अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक —पदेन सदस्य।

***(3)* केन्द्रीय सरकार उतनी संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करेगी, जितनी वह प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए आवश्यक समझती है।**

***(4)* प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।**

प्राधिकरण की बैठकें।

6ख. (*1*) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर होंगी तथा वह अपनी बैठकों में कार्यवाही के संचालन में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(*2*) बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा उठाया गया खर्च उनके मूल संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा।

प्राधिकरण के कृत्य।

6ग. (*1*) प्राधिकरण देश में डाकघरों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो आवश्यक हों तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने गठन के एक वर्ष के भीतर नीति बनाएगा।

(*2*) उप-धारा (*1*) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण,—

(क) देश में डाकघरों की वर्तमान स्थिति तथा वहां उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में व्यापक आंकड़े एकत्र करने के लिए आधारभूत अध्ययन करेगा, जिसे प्राधिकरण के गठन के एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार से हर उस गांव में डाकघरों की स्थापना की सिफारिश करेगा, जिसकी जनसंख्या एक हजार से अधिक है;

(ग) केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों में वे सभी व्यापक सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश करेगा, जो शहरी क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में उपलब्ध है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के परिदान हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों के तौर पर डाकघरों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा;

(ङ) ऐसे दिशानिर्देश बनाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि डाकघर, गांवों में संपर्क को बढ़ावा देने वाले मध्यवर्ती के रूप में कार्य करे, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे,—

(*i*) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल, दूरसंचार तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा डाकघरों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण;

(*ii*) सभी डाकघरों में स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) की सेवाओं सहित मुख्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन;

(*iii*) एक लाख रुपए तक की जमा राशि स्वीकार करने हेतु सभी डाकघरों में डाक भुगतान बैंकों की संस्थान के अधिदेश के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना; और

(*iv*) डाक भुगतान बैंकों को सरकार तथा नागरिकों के बीच माध्यम के रूप में सक्षम बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवाओं के परिदान हेतु साधन के तौर पर कार्य करना;

(च) राज्य सरकारों से यह सिफारिश करना कि वे डाकघरों को नागरिकों के लिए वोटर कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों को प्राप्त करने तथा पेयजल और बिजली के कनेक्शनों के परिवार नामांकन हेतु नामांकन केन्द्रों के रूप मान्यता दें;

(छ) वर्तमान डाकघरों के आधुनिकीकरण हेतु दिशानिर्देश तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है,—

(*i*) सभी डाकघरों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना;

(*ii*) वर्तमान डाकघरों का उन्नयन तथा इसमें यहां विहित सभी सुविधाएं भी सम्मिलित हैं;

(*iii*) उपभोक्ता संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठों तथा कॉल सेन्टरों की स्थापना करना;

(*iv*) प्रत्येक डाकघर में ई-कॉमर्स बुकिंग केन्द्र का प्रस्ताव कर डाकघरों के माध्यम से ई-कॉमर्स पार्सल डिलिवरी को सुकर बनाना;

(*v*) ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक डाकघर मुख्यालय में पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की स्थापना करना; और

(*vi*) एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक डाकघर पर यात्री आरक्षण काउन्टर (पीआरएस काउंटर) की स्थापना करना।

(ज) डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु दिशानिर्देश तैयार करना जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे,—

(*i*) ब्लॉक स्तर पर पूर्ण महिला डाकघर खोलना; और

(*ii*) महिलाओं तथा बालिकाओं के नाम पर डाकघरों में जमा तथा सावधि जमा पर अधिक ब्याज दर की सिफारिश करना।

(झ) डाकघरों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करना जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(*i*) डाकघरों के लिए कार्य के अधिक घण्टों की मान्यता;

(*ii*) संपर्क के मुद्दों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में डाकघर की छतों पर संस्थापित सौर पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का दोहन निर्धारित करना;

(*iii*) जनशक्ति की कमी के मामलों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने के लिए पोस्टमास्टर को निदेश देना; और

(*iv*) केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश करना कि डाकघरों में तैनात अतिरिक्त कार्यबल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत किए गए ग्रामीण विकास कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा।

(ञ) ऐसी अन्य गतिविधियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर चिह्नित की जाएं।

वार्षिक प्रतिवेदन।

6घ. (*1*) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार एक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें इसके वार्षिक लेखाओं का विवरण और पिछले वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं का सारांश होगा।

(*2*) प्रतिवेदन की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी जो प्रतिवेदन प्राप्त होते ही इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी क्षेत्रों की तुलना में दूरसंचार और इन्टरनेट कनेक्टिविटी, बैंकिंग और अन्य व्यापक सुविधाओं से सुसज्जित कर आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। देश भर में 1,54,000 से अधिक डाकघर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें से 89.9 प्रतिशत अवस्थित हैं, इस प्रकार डाकघरों को ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की सुपुर्दगी करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां बनाया जाना प्रस्तावित है।

विधेयक में यह विचार समाहित है कि एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली प्रत्येक बसावट में एक डाकघर होना चाहिए जो गांवों में सम्पर्क बढ़ाने में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। इस विधेयक में डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी (डिजिटल और इन्टरनेट) सहित कुछ सुविधाओं का प्रावधान है। इस विधेयक में सभी डाकघरों में आटोमेटेड टैलर मशीनों, मुख्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए प्रावधान भी है। प्रत्येक डाकघर के लिए यह अनिवार्य है कि उसमें एक पोस्ट पेमेंट बैंक हो जो एक लाख रुपए तक की जमाएं स्वीकार करता हो और सरकार तथा नागरिकों के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करते हुए नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करता हो। विधेयक में प्रस्तावित है कि डाकघर मतदाता पहचान पत्रों, पैन कार्ड, अन्य पहचान पत्रों के लिए नागरिकों का नामांकन और घर में पेयजल और बिजली कनेक्शनों के लिए परिवार के नामांकन की सुविधा प्रदान करे।

विधेयक में यह प्रस्ताव भी है कि सभी डाक घरों को दिव्यांग-जनों के लिए सुगम बनाया जाए। डाकघर परिसर में किसी ग्राहक की शिकायत का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और एक कॉल सेन्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ई-कॉमर्स के पार्सलों की सुपुर्दगी सुगम बनाने के लिए, प्रत्येक डाकघर में एक ई-कॉमर्स बुकिंग सेन्टर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी सामान सुपुर्दगी सेवा का विस्तार करने से आय भी होगी।

ब्लॉक स्तर पर, विधेयक में प्रत्येक ब्लॉक में अनिवार्य रूप से डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। ऐसे पासपोर्ट केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों के उन युवाओं की सहायता करेंगे जो अध्ययन करना चाहते हों अथवा विदेशों में काम करने के इच्छुक हों। इस समय, देश भर में दो सौ अस्सी डाक घर ही ऐसे हैं जहां रेल टिकट आरक्षण केन्द्र हैं। विधेयक में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्रामीण बसावट में प्रत्येक डाकघर में अनिवार्य यात्री आरक्षण काउन्टरों की व्यवस्था की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, विधेयक में, सभी महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर डाकघर खोले जाने का प्रावधान है जिसके तहत महिला अथवा बालिका के नाम में डाकघरों में की गई जमाओं और सावधि जमाओं के लिए उच्चतर ब्याज दर प्रदान की जाएगी।

कार्यात्मकता के संबंध में, डाकघरों को अधिक घण्टों तक कार्य करने और अपने भवनों की छतों पर संस्थापित सौर पैनलों के माध्यम से सौर विद्युत का दोहन करने के निदेश दिए गए हैं। कार्य के अतिरिक्त घण्टों का समायोजन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (मनरेगा) के अन्तर्गत एक सौ कार्य दिवस कोटा में समायोजित किए जाने का विचार है। अत: डाकघरों में किए गए किसी अतिरिक्त कार्य को मनरेगा के अन्तर्गत विकासात्मक कार्यों के रूप में विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार इस विधेयक का आशय ग्रामीण जनता को समुचित इन्टरनेट और दूरसंचार कनेक्टिविटी की मूल सेवाओं तक पहुंच सकने में समर्थ बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग ढांचे का समग्र विकास करना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
6 जून, 2019

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित धारा 6क के द्वारा विधेयक का खण्ड 2 देश में डाकघरों को व्यापक रूप से समाहित करना सुनिश्चित करने के लिए डाकघर व्यापक विकास प्राधिकरण के गठन का उपबन्ध करता है। यह इसके कार्यकरण के लिए अपेक्षित संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का उपबन्ध भी करता है। अत: विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से प्रतिवर्ष लगभग पांच सौ करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होगा।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

लोक सभा

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और
संशोधन करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—949LS(S-3)—04.07.2019.